

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2956 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

श्रीमति पूनम मानेकर शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "नीलकण्ठ कॉलेज, जबलपुर से एल.एल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न पाए गए तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

  
(राजेन्द्र कुमार वर्मा)  
रजिस्ट्रार जनरल  
Raj


पृष्ठांकन क्रमांक C/2957 /

जबलपुर, दिनांक /06/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वार्ट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्रीमति पूनम मानेकर शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित ।

  
(यू. एस. दुबे)  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.  
Raj

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2358 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

श्रीमति श्रीविद्या शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को "नीलकण्ठ लॉ कॉलेज, बल्देवबाग से एल.एल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम सत्र-2019-2020 में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।


  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/2959 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  2. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
  3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  4. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  5. क्लर्क मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  8. श्रीमति श्रीविद्या शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(यू. एस. दुबे)  
रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.  
Rr

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर


// आदेश //

क्रमांक C/2960 /  
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 28 /06/2019

श्री सुनील दुबे, शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर को "जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से मान्यता प्राप्त ग्वालियर विधि महाविद्यालय मुरार जिला ग्वालियर म.प्र. से एलएल.बी त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर) सत्र-2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

  
(राजेंद्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल  
P.S.

पृष्ठांकन क्रमांक C/2961 /  
दो-14-9/83 बैच

जबलपुर, दिनांक 28 /06/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर ज्ञापन क्रमांक 3253/34/स्था. ग्वालियर, दिनांक 10.06.2019 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार(प्रशा.) /कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. डिप्टी रजिस्ट्रार.....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. अनुभाग अधिकारी स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. सहायक स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री सुनील दुबे, शीघ्रलेखक (पर्सनल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(यू. एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.  
P.S.


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2962 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

श्रीमती हेमकुमारी साहू, सहायक ग्रेड-तीन, (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को न्यायिक शाखा के रिट ब्रांच-2 में डीलिंग असिस्टेंट क्रमांक-22 के रूप में कार्यरत रहते हुए प्रकरण रिट पिटीशन क्रमांक 15798/2018 (श्रीमती महिमा दुबे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2018 की अवहेलना करते हुये याचिकाकर्ता एवं उनके अधिवक्ता को एस.पी.सी. जारी न करने की त्रुटि करने के फलस्वरूप अभिलेखनीय चेतावनी (Recordable) दी जाती है।

  
(राजेंद्र कुमार वाणी)

for रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/2963 /  
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार, .....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक/रिट ब्रांच, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सेवा अभिलेख/गोपनीय चरित्रावली में भविष्य के संदर्भ में रखे जाने हेतु,
7. श्रीमती हेमकुमारी साहू, सहायक ग्रेड-तीन, (जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)  
for

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2964 /

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

श्री सैय्यद शादाब अली, सहायक ग्रेड-दो, (ज्यूडिशियल असिस्टेंट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को न्यायिक शाखा के रिट ब्रांच-2 में डीलिंग असिस्टेंट क-25 के रूप में कार्यरत रहते हुए एवं डीलिंग असिस्टेंट क-22 के रिक्त सीट का कार्य संपादन करने के दौरान प्रकरण रिट पिटीशन क्रमांक 15798/2018 (श्रीमती महिमा दुबे एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य व अन्य) में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2018 की अवहेलना करते हुये याचिकाकर्ता एवं उनके अधिवक्ता को एस.पी. सी. जारी न कर प्रकरण को माननीय डिवीजन बैंच के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 01.03.2019 को सूचीबद्ध करने की त्रुटि करने के फलस्वरूप अभिलेखनीय चेतावनी (Recordable) दी जाती है।



27/6/19  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 28/06/2019

पृष्ठांकन क्रमांक C/2965 /  
प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. डिप्टी रजिस्ट्रार, .....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/न्यायिक/रिट ब्रांच, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. सहायक स्थापना. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सेवा अभिलेख/गोपनीय चरित्रावली में भविष्य के संदर्भ में रखे जाने हेतु
7. श्री सैय्यद शादाब अली, सहायक ग्रेड-दो, (ज्यूडिशियल असिस्टेंट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)  
for